न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 17 / 2025
जीसीएमएस संख्या: 2025 / 31
निर्णय दिनांक : 04.02.2026

1. गोकुलसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
2. सरोजकंवर पत्नी गोकुलसिंह राजपूत निवासीनी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

.................वादीगण

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
2. उम्मेदकंवर पत्नी रणजीतसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
3. नाथाबाई पुत्री मगनसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
4. निर्मला कंवर पुत्री श्रवणसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
5. पूनमकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी सुखवीरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान
6. प्रेमकंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
7. बालकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
8. भंवरकंवर पत्नी श्यामसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
9. भंवरकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
10. भंवरसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
11. भवानीसिंह पुत्र श्रवणसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील म्उ सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
12. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
13. मंजू कंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
14. मनोजकंवर पुत्री श्रवणसिंह राजपूत निवासी ग्राम पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
15. मनोजसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

16. महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील टम्ड सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
17. महावीरसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
18. यशोदाकंवर पत्नी श्रवणसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
19. रणजीतसिंह पुत्र भारतसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
20. रेवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
21. विक्रमसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत निवासी ग्राम पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
22. शीशराम पुत्र रामचन्द्र स्वामी निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
23. संजयसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील म्ड सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
24. सुमनकंवर पुत्री श्यामसिंह राजपूत निवासी नीदड़ जयपुर (राजस्थान)
25. सीनूकंवर पुत्री श्रवणसिंह राजपूत निवासी ग्राम पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
26. सुरेन्द्रसिंह पुत्र नोपसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
27. किरणकंवर पुत्री नोपसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
28. रतनकंवर पुत्री नोपसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
29. अंजूकंवर पुत्री नोपसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
30. विमला कंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
31. विक्रमसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
32. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
33. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
34. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

दावा कृषि भूमि के विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति
का अन्तर्गत धारा 53 (तरेपन) व 188 (एक सौ
अठ्यासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री अमरसिंह अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. पैरोकार राज उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 29 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त के वर्तमान खेत खसरा नंबर 18 तादादी 1.2771 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 27 तादादी 21.0286 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3057 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नंबर 119 तादादी 2. 8324 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान में स्थित चले आ रहे है। खातेदार भानीकंवर, खातेदार रूपकंवर व भंवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान का नाम राजस्व रेकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज है तथा खातेदार नोपसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। नोपसिंह के पुत्र विरेन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 27 ता 31 है। वादीगण व प्रतिवादीगण का रहन–सहन, खान–पान अलग–अलग है तथा वादी संख्या 1 गोकुलसिंह ने खेत खसरा नंबर 18 व खेत खसरा नंबर 27 वाके रोही राजीयासर खारा की भूमि में से खातेदार सुगनकंवर पुत्री तेजसिंह पत्नी भैरूसिंह निवासीनी राजीयासर मीठा से 1/15 सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1.4870 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 18.11. 2022 को खरीद कर कब्जा, दखल संभाल लिया था और खरीदशुदा भूमि पर वादी संख्या 1 गोकुलसिंह काबिज दाखिल चला आ रहा है। वादी संख्या 2 श्रीमती सरोज कंवर ने भंवरसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह राजपूत निवासी ग्राम राजीयासर मीठा से खेत खसरा नंबर 18 व खेत खसरा नंबर 27 व 119 वाके रोही राजीयासर खारा की भूमि में से 1 बीघा 07 बिश्वा व श्रीमती मरूधर बाई पुत्री स्व. मगनसिंह से खेत खसरा नंबर 18 व खेत खसरा नंबर 27 व 119 वाके रोही राजीयासर खारा की भूमि में से 6 बीघा 13 बिश्वा सम्पूर्ण हिस्सा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 25.02.2014 को खरीद कर कब्जा, दखल संभाल लिया था, अर्थात तत्कालिन विक्रेता भंवरसिंह व मरूधर बाई से कुल 8 बीघा भूमि खरीद की थी। उक्त खरीदशुदा भूमि पर कब्जा, दखल, उपयोग, उपभोग, काश्त वादी संख्या 2 सरोज कंवर का चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने सन् 2023 (दो हजार तेईस) के अक्षय तृतीया के रोज वादगत भूमि के खातेदारान ने अपने–अपने हिस्से पांति व अपनी–अपनी सुविधानुसार कब्जा, काश्त के मुताबिक भूमि को काश्त करने की दृष्टि से बाहमी बंटवारा कर लिया था जिसके मुताबिक वादी संख्या 1 गोकूलसिंह के हिस्से पांति में 1.4870 हैक्टेयर भूमि मुताबिक नजरी नक्शा के खसरा नंबर 27 के उतरी तरफ कटाणी रास्ता के चिपती व रणजीतसिंह के पूर्वी तरफ चिपती एवं वादीनी संख्या 2 सरोजकंवर के हिस्से पांति में खसरा नंबर 27 के दक्षिणी–पूर्वी कोने की तरफ की 8 बीघा भूमि में मुताबिक नजरी नक्शा के भूमि रखी गयी है। वादीगण ने अपने हिस्से पांति की भूमि को काश्त कर इस वर्ष मोठ, बाजरी, मूंग, तिल, ग्वार की फसल की बुवाई की थी और वादीगण ने अपनी भूमि को काफी सुधारकर उपजाऊ बना रखा है और वादीगण अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारीगण है। वादीगण ने वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 18 तादादी 1.2771 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 27 तादादी 21.0286 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3057 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नंबर 119 तादादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

2.8324 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू की संयुक्त खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर भी खातेदारान (प्रतिवादीगण) के तनाव रहता है और संयुक्त खातेदारी के रहते हुये सरकारी लाभ प्राप्त करने में भी असुविधा होती है। वादीगण ने संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक कब्जा, काश्त के विभाजन करवाने के लिये दिनांक 01.02.2025 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादगत खसरेजात की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया धमकियां दी और कहा कि बिना विभाजन करवाये वादीगण के हिस्से पांति की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करेगें। वादगत भूमि को बिना विभाजन करवाये विक्रय, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि करेगें। वादगत भूमि से वादीगण को गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर देने के लिये व वादीगण की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने के लिये प्रतिवादीगण आमादा हो रहे है और यदि प्रतिवादीगण अपने गलत कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो प्रतिवादीगण को न्यायालय से जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित करावें। वादीगण ने दिनांक 01.02.2025 को वादगत भूमि को मुताबिक कब्जा, काश्त व बाहमी बंटवारा के आधार पर विभाजन करवाकर लगान अलग कायम करवाने के लिये व बिना विभाजन करवाने और वादगत भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बंधक इत्यादि नहीं करने के लिये प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया यही वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है। वादीगण वादगत भूमि की रेकॉर्डेड खातेदार है तथा वादीगण का अपने हिस्सा पांति की भूमि पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। इसलिये वादीगण को वादाधार प्राप्त है। वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेत खसरा नंबर 18 तादादी 1.2771 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 27 तादादी 21.0286 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3057 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नंबर 119 तादादी 2.8324 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ की संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक नजरी नक्शा, कब्जा, काश्त व हिस्सा कस्सी के विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 गोकूलसिंह के हिस्से पांति में खसरा नंबर 27 मिन तादादी 1.4870 हैक्टेयर भूमि उत्तरी ओर की कटाणी रास्ता के चिपती हुई रणजीतसिंह के पूर्वी तरफ चिपती हुई व वादी संख्या 2 सरोजकंवर के हिस्से पांति में खसरा नंबर 27 तादादी 8 बीघा 801/9940 हिस्सा दक्षिणी–पूर्वी कोने की तरफ की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अलग से अमल दरामद करवायी जावे तथा लगान अलग से कायम किया जावे, वादीगण का हिस्सा नक्शा में तरमीम किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 34 को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि खेत खसरा नंबर 18 तादादी 1.2771 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 27 तादादी 21.0286 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3057 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नंबर 119 तादादी 2.8324 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान की भूमि को बिना विभाजन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

करवाये अजनबी व्यक्तियों व भू–माफियाओं को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बंधक, खुर्द–बुर्द इत्यादि नही करें तथा वादीगण के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलन्दाजी नही देवें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण न्यायालय में विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी व प्रतिवादीगण का विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस पर सुना गया।

बहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादीगण के मध्य वादगत भूमि का निम्नानुसार विभाजन प्रस्तावित किया है।

कमांक	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1.	गोकुलसिंह पुत्र रणजीत सिंह राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा राजियासर मीठा Digital Portable Branch	27 मीन	1.4870 है0
2.	सरोजकंवर पत्नी गोकुलसिंह जाति राजपूत निवासी राजियासर मीठा राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा राजियासर मीठा	27 मीन	2.0257 है0
3.	1. उम्मेद कंवर पत्नी रणजीतसिंह 2. भवानीसिंह पुत्र श्रवणसिंह 3. यशोदा कंवर पत्नी श्रवणसिंह 4. निर्मलाकंवर पुत्री श्रवणसिंह 5. मनोज कंवर पुत्री श्रवणसिंह 6. सोनू कंवर पुत्री श्रवणसिंह 7. भंवरकंवर पत्नी श्यामसिंह 8. महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह 9. विक्रमसिंह पुत्र श्यामसिंह 10. संजयसिंह पुत्र श्यामसिंह 11. सुमनकंवर पुत्री श्यामसिंह 12. भंवरसिंह पुत्र भैंरूसिंह 13. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह 14. महावीरसिंह पुत्र भैंरूसिंह 15. रणजीतसिंह पुत्र भारतसिंह 16. ईश्वरसिंह पुत्र भंवरसिंह 17. बालकंवर पुत्री भंवरसिंह 18. भंवर कंवर पत्नी भंवरसिंह 19. मंजूकंवर पुत्री भंवरसिंह 20. रेवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह 21. नाथाबाई पुत्री मगनसिंह 22. प्रेमकंवर पुत्री तेजसिंह 23. भानीकंवर पत्नी भारतसिंह 24. सुरेन्द्रसिंह पुत्र नोपसिंह 25. विक्रमसिंह पुत्र वीरबहादुरसिंह 26. विमला कंवर पत्नी वीरबहादुरसिंह 27. शीशराम पुत्र रामचन्द्र 28. पूनमकंवर पुत्री भंवरसिंह पत्नी सुखवीरसिंह	18, 27 मीन	1.2771 है0, 17.5159 है0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

4.	1. निर्मलाकंवर पुत्री श्रवणसिंह 2. भवानीसिंह पुत्र श्रवणसिंह 3. यशोदा कंवर पत्नी भंवरसिंह 4. मनोजकंवर पुत्री श्रवणसिंह 5. सोनूकंवर पुत्री श्रवणसिंह 6. उम्मेदकंवर पत्नी रणजीतसिंह 7. भंवरकंवर पत्नी श्यामसिंह 8. महेन्द्रसिंह पुत्र श्यामसिंह 9. संजयसिंह पुत्र श्यामसिंह 10. विक्रमसिंह पुत्र श्यामसिंह 11. सुमनकंवर पुत्री श्यामसिंह 12. भंवरसिंह पुत्र भैंरूसिंह 13. महावीरसिंह पुत्र भैंरूसिंह 14. रणजीतसिंह पुत्र भारूसिंह 15. शीशराम पुत्र रामचन्द्र 16. नाथाबाई पुत्र मगनसिंह 17. भंवरसिंह पुत्र भारतसिंह 18. भानीकंवर पत्नी भारूसिंह 19. रूपकंवर पत्नी तेजसिंह 20. पूनमकंवर पुत्री भंवरसिंह 21. मनोजसिंह पुत्र भंवरसिंह	119	2.8324 है0

रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

—:आदेश:—

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 18 तादादी 1.2771 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 27 तादादी 21.0286 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3057 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नंबर 119 तादादी 2.8324 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला—चूरू की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 32, 33 व अन्य बैंक के हित को सुरक्षित रखते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 34 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सरे ईजलास सुनाया गया ।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

गोकुलसिंह बनाम ईश्वरसिंह आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 17 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा हाजरी श्री अमरसिंह अधिवक्ता, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी का अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 34 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 18 तादादी 1.2771 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 27 तादादी 21.0286 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3057 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नंबर 119 तादादी 2.8324 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम राजियासर खारा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 32, 33 व अन्य बैंक के हित को सुरक्षित रखते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 **माह 02 2026**

मुहर

(Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू)

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ....

सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना